[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या. 27/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, **12** जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ). जहाँ कि केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पैरासीटामोल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 25 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले की समीक्षा की है और उन्होंने इस विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 06 माह की अवधि तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018, जिसे सा.का.नि. 786 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 में संशोधन करते हुए उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 26 अप्रैल, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उतपादि या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के बारे में अधिसूचना संख्या 7/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 29 जनवरी, 2019 में प्रकाशित दिनांक 29 जनवरी, 2019 के अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त किए जाने के लिए सिफारिश की थी :

और जहाँ कि इन अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 309 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या. 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018 को निरस्त करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों के अनुसार विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया था;

और जहाँ कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या 5278/2019 के मामले में अपने दिनांक 24.04.2019 के आदेश के द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28.08.2018 को 24.06.2019 तक बढ़ाए जाने का निर्देश दिया था और जब उसको यह बताया गया कि उक्त अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुख्य याचिका के अंतिम निपटान तक अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को आस्थगित कर दिया था;

और जहाँ कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या 5278/2019 के मामले में अपने दिनांक 09.05.2019 के आदेश के तहत निर्देश दिया था कि अधिसूचना संख्या. 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20.08.2018 को 24.06.2019 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी)13302-13304/2019 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती दी है;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 09.05.2019 के निर्णय के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 22/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) को 24.06.2019 तक की अवधि आगे बढ़ा दिया है;

और जहां कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या 5278/2019 के मामले में अपने दिनांक 20.06.2019 के आदेश में पुनः यह निर्देश दिया है कि अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20.08.2018, को पुनः 09.07.2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है बढ़ा दिया जाए;

और जहाँ कि केन्द्र सरकार ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 24 जून, 2019 के आदेश के अनपालन में अधिसूचना सं. 26/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), 24 जून, 2019 के तहत अधिसूचना सं. 39/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), 20 अगस्त, 2018 को आगे बढ़ा दिया है।

और जहाँ कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए सं. 5278/2019 के मामले में अपने दिनांक 03 जुलाई, 2019 के अंतिम आदेश में प्रतिवादी सं. 2 को यह निर्देश दिया था कि वह इस निष्कर्ष को नये सिरे से दर्ज करे और वादी सं. 1 को भी यह निर्देश दिया था कि वह जब तक अंतिम निष्कर्ष नहीं आ जाता है तब तक प्रश्नगत उत्पाद पर प्रतिपाटन शुल्क लगाता रहे।

और जहाँ कि डीजीटीआर ने ओएम सं. 7/16/2018-डीजीएटी (पार्ट फाइल)-1 दिनांक 08.07.2019 के तहत यह सिफारिश की है कि पैरासिटामोल पर प्रतिपाटन शुल्क को दिनांक 27 अक्टूबर, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखा जाये।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.06.2019 को आए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, पक्षकारों के उन अधिकारों और कथनों जिनके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पड़ी एसएलपी में अंतिम रूप से निर्णय दिया जाना है, पर बिना कोई प्रभाव डाले बिना। , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2018, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20 अगस्त, 2018, जिसे सा.का.नि. 786 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अंक, अक्षर और शब्द "09 जुलाई, 2019" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "27 अक्टूबर, 2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(फाइल संख्या 354/93/2001-टीआरयू (पार्ट.-4))

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 को सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 जून, 2019, सा.का.नि. 450(अ.), दिनांक 24 जून, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है ।